फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

बरजी देवी बनाम हेमचन्द वगै0

कदमा नं0 :–41/2024

म ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 2 अनु0। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब पेश नही किया तथा बहस नही करना चाहा। अतः वकील अप्रार्थी सं0 3 का जवाब व बहस बन्द की जाती है। वकील प्रार्थी की मजीत बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम बिलोद, पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 802/582 रकबा 1.0100है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	